न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी –: 23/2019

प्रार्थी –

शिवजीराम गोदपुत्र स्व. श्री सुखराम, जाति नाई, निवासी नायों को बास, ग्राम डांगियावास, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी –

1. अमरसिंह पुत्र स्व.श्री श्यामलाल,
2. देवीसिंह पुत्र स्व.श्री श्यामलाल,
3. नारायणसिंह पुत्र स्व.श्री श्यामलाल,
   जातियान नाई, निवासी नायों का बास, ग्राम डांगियावास, वाया बनाड़, तहसील व जिला जोधपुर।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल संख्या शून्य, पट्टा संख्या शून्य दिनांक 11.04.1980 जो कि ग्राम पंचायत डांगियावास द्वारा अप्रार्थी के पिता श्यामलाल के नाम से जारी किया गया।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री राकेश शर्मा ।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री शंकर चौहान उपस्थित।

–:: **आदेश** ::– **दिनांकः 09.09.2019**

यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल संख्या शून्य, पट्टा संख्या शून्य दिनांक 11.04.1980 जो कि ग्राम पंचायत डांगियावास द्वारा अप्रार्थी के पिता श्यामलाल के नाम से जारी किया गया, के विरूद्ध पेश की है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी भारतीय नागरिक है तथा जोधपुर जिले का निवासी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध सिविल दीवानी वाद संख्या 06/2015 सिविल न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम की पट्टासुदा भूमि पर निगरानीकर्ता व अन्य अतिक्रमण कर रहे है, जिस मुकदमें में अप्रार्थी ने इसके विपरीत जाकर बदनीयतीपूर्वक प्रार्थी के नाम से सन् 1974 में मिसल नम्बर 8 पट्टा नम्बर 8 के द्वारा विधिवत् जारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

किये गये पट्टे को संदिग्ध होना बताकर गलत बयानबाजी कर व गलत दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त पट्टासुद भूमि को अपनी पैतृक व पुश्तैनी भूमि होना बतलाकर कथन किया कि उक्त भूमि के चिपती आई हुई भूमि का पट्टा उसके पिता श्यामलाल के नाम से जारीसुदा है, जो अप्रार्थी द्वारा सन् 1980 में जारी होना बतलाया गया। अप्रार्थी के पिता श्यामलाल के नाम से जारीसुदा पट्टा में ना तो मिसल नम्बर अंकित है और ना ही पट्टा नम्बर तथा ना ही पंचायत संकल्प संख्या व तिथि ही अंकित है केवल मात्र जरिये रसीद संख्या 94 दिनांक 11.04.1980 अंकित है तथा उसी दिनांक 11.04.1980 को सरपंच हिन्दूसिंह, ग्राम पंचायत डांगियावास, जोधपुर द्वारा जारी किया हुआ है, जो पूर्णत संदिग्ध है। तथाकथित पट्टे की जानकारी होने पर यह निगरानी पेश की है।

निगरानीकर्ता ने सर्वप्रथम यह निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां दिनांक 08.11.2016 को पेश की गयी। श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर के आदेश क्रमांक 1927 दिनांक 28.12.2018 के द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई हेतु मुतकिल की गइ। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण में नियमित सुनवाई प्रारम्भ की गई। इस प्रकरण में वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री राकेश शर्मा ने अपनी बहस शुरू करते हुए निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता का एक पट्टासुदा प्लॉट गांव डांगियावास के आबादी क्षेत्र में स्थित है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत डांगियावास ने निगरानीकर्ता के पुराने कब्जे के आधार पर सन् 1974 में प्रार्थी के हक में जारी किया, जिसके मिसल संख्या–8/1974 एवम् पट्टा नम्बर–8 है। वर्ष 2015 में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के पट्टासुदा जमीन पर कब्जा एवम् अतिक्रमण करने का प्रयास किया तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खिलाफ सिविल न्यायालय में वाद पेश किया, जिसके वाद संख्या–06/2015 बअनवान शिवजीराम बनाम अमरसिंह वगैराह है। उक्त वाद में सिविल न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमा दिया जो आज भी यथावत प्रभावी है।

सिविल वाद में अप्रार्थीगण ने अपने जवाबदावे में बताया कि दावाकृत प्लॉट अप्रार्थीगण के पिता का था तथा अप्रार्थी के पिता के हक में सन् 1980 में ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इसके बाद में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टे को निरस्त करवाने बाबत माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की। माननीय न्यायालय ने प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टे को दिनांक 30.08.2016 को

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त फरमा दिया। माननीय न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश कर दी जो आज भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया कि मौके पर प्लॉट के दोनों पक्ष यथास्थिति बनाये रखे उक्त स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है।

प्रार्थी/निगरानीकर्ता को यह पता चला कि जिस जमीन का ग्राम पंचायत डांगियावास ने प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हक में सन् 1974 में कब्जे के आधार पर पट्टा जारी कर रखा है, उसी जमीन का ग्राम पंचायत डांगियावास ने सन् 1980 में अप्रार्थीगण के पिता श्यामलाल के नाम गलत एवम फर्जी पट्टा जारी कर दिया। पट्टे की जानकारी होते ही प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने यह निगरानी अप्रार्थीगण के पिता के हक में जारी पट्टे को निरस्त करवाने बाबत पेश कर दी।

प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टे का मात्र इस आधार पर निरस्त किया कि पट्टे की ग्राम पंचायत में पत्रावली उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता के हक में जो सन् 1980 में पट्टा जारी करना बताया गया है, इस पट्टे को जारी करने की भी कोई पत्रावली पंचायत रेकर्ड में नहीं है। अप्रार्थीगण के पट्टे में मिसल नम्बर अंकित नहीं तथा पट्टा नम्बर अंकित नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता के हक में पट्टा जारी करने की भी पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता के नाम तथाकथित पट्टा तत्कालीन सरपंच हिन्दूसिंह द्वारा जारी करना बताया गया जो पट्टा देखने मात्र से फर्जी लगता है। माननीय न्यायालय ने जिस आधार पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता का पट्टा निरस्त किया, वहीं आधार अप्रार्थीगण के पिता के नाम से जारी पट्टे को खारिज करने का पत्रावली पर उपलब्ध है।

जिस जमीन पर सन् 1974 के पूर्व से प्रार्थी/निगरानीकर्ता का कब्जा था एवम् कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के हक में पट्टा जारी किया, जो पट्टा ग्राम पंचायत ने जारी किया इस बाबत ग्राम पंचायत ने न्यायालय को लिखकर दिया। पट्टा जारी करने वालों के हस्ताक्षर फर्जी नहीं है, वहां पर मिसल एवम् पट्टा नम्बर है तथा पट्टा जारी करने का पंचायत का संकल्प एवम् तारीख है। केवल मात्र पट्टा जारी करने की पत्रावली पंचायत में नहीं है। इस आधार पर पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टा गलत ढंग से खारिज किया गया। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत द्वारा जारी करने के सारे सबूत है, इसके बावजूद पट्टा निरस्त कर दिया जबकि अप्रार्थीगण के पिता के हक में पट्टा

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

जारी करने का कोई सबूत नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता का जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा अप्रार्थीगण के पिता को यह जानकारी थी कि जमीन पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता का कब्जा है तथा प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हक में पंचायत का पट्टा है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थी के हक में जारी पट्टे की जमीन का दूसरा पट्टा पंचायत के सरपंच से मिलीभगत कर बिना प्रक्रिया अपनाये अपने हक में जारी करवा दिया। अप्रार्थीगण के पिता के हक में जारी पट्टे का कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत ने नहीं है तथा पट्टा देखने मात्र से फर्जी एवम् कूटरचित दस्तावेज लगता है। पट्टे पर मिसल नम्बर व पट्टा नम्बर नहीं है। पट्टा काबिल निरस्त करने योग्य है।

ग्राम पंचायत का सन् 1974 का रेकर्ड अप्रार्थीगण के पिता ने सरपंच से मिलकर गायब करवाया, उसके बाद पूर्व में जारी पट्टे के बावजूद अपने हक में उसी जमीन का दूसरा पट्टा जारी करवा दिया। प्रार्थी का पट्टा जब माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया उस वक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी/निगरानीकर्ता की यही बहस रही कि पट्टा जारी करवाने बाबत ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। पट्टे से सम्बन्धित कोई रेकर्ड पत्रावली ग्राम पंचायत में नहीं है। मूल पत्रावली एवम् पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की ग्राम पंचायत ने लिखित में दिया कि पट्टे सम्बन्धित एवम् पट्टा जारी करने का कोई रेकर्ड नहीं है। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त बहस के आधार पर ही प्रार्थी का पट्टा निरस्त किया। उपरोक्त आधार ही अप्रार्थीग्ण के पिता के हक में जारी पट्टे को निरस्त करवाने के है।

मौजूदा निगरानी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की यह बहस है कि अप्रार्थीगण के पिता ने जमीन का पट्टा जारी करवाने बाबत ग्राम पंचायत में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। पट्टा जारी करवाने बाबत नोटिस पंचायत ने जारी नहीं किया। पट्टे से सम्बन्धित कोई रेकर्ड दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली एवम् पट्टे की नकल ग्राम पंचायत से मांगी तब ग्राम पंचायत ने यह लिखकर दिया कि पट्टा जारी करने का एवम् पट्टे से सम्बन्धित कोई कार्यवाही एवम् रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता के हक में पट्टा बाले बाले मिल्कियत करके जारी किया गया, जो काबिल निरस्त करने योग्य है।

प्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत ने जो सन् 1974 में जमीन का पट्टा जारी किया। उक्त पट्टे को निरस्त करवाने बाबत अप्रार्थीगण ने निगरानी पेश कर पट्टा दिनांक 30.08.2016 को निरस्त करवाया, जिसके निगरानी संख्या–02/2015 बअनवान

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

अमरसिंह वगैराह बनाम शिवजीराम के नाम से थी। प्रार्थी को जब इस बात का पता चला कि प्रार्थी के कब्जासुदा एवम् पट्टासुदा जमीन का दूसरा पट्टा अप्रार्थी के पिता श्यामलाल ने सन् 1980 में बना लिया। एक ही जमीन के दो पट्टे जारी कर दिये। पहले प्रार्थी के हक में जारी कर दिया एवम् बाद में अप्रार्थीगण के पिता के हक में उसी जमीन का पट्टा जारी कर दिया। दोनों पट्टों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का यही कहना है कि पट्टों के सम्बन्ध में पंचायत में कोई रेकर्ड नहीं है न ही पट्टा जारी करने का कोई सबूत है। इस आधार पर प्रार्थी का पट्टा माननीय न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया है। यह आधार प्रार्थी निगरानी प्रार्थना पत्र के है।

अप्रार्थीगण के पिता के हक में जारी सन् 1980 का पट्टा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए एवं बिना जांच किये तथा पट्टा जारी करने का पंचायत में रेकर्ड बनाये बिना ही बाले बाले जारी किया गया है। पट्टा विधि अनुसार एवम् विधि में प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् नियमों की पालना किये बिना जारी किया गया, जो पट्टा निरस्त करने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री शंकर चौहान ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत निगरानी 39 वर्ष बाद पेश की है जो मियांद बाहर है। प्रार्थी व अप्रार्थी ग्राम डागियावास के निवासी है। दोनों के मकान व बाड़े अन्य सम्पतियां अलग–अलग है। और दोनो उसका उपयोग व उपभोग कर रहे है। द्वेष की भावना से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए ये निगरानी पेश की गई है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के आवेदन करने पर नियमानुसार पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर जारी किया गया है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रार्थी ने यह निगरानी मिसल संख्या शून्य, पट्टा संख्या शून्य दिनांक 11.04.1980 को जारी किया गया को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

इस प्रकरण में यह भी तथ्यात्मक स्थिति है कि निगरानीधीन पट्टे से संबंधित मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत डांगियावास से चाहा गया था। ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत डांगियावास पंचायत समिति, जोधपुर (मु0–मण्डोर) ने अपने पत्रांक दिनांक 07.07.2017 से अवगत कराया कि ग्राम डांगियावास द्वारा जारी मूल पट्टा सं. शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

मिसल सं. शून्य दिनांक 11.04.1980 एवं उक्त अवधि का बैठक कार्यवाही रजिस्टर का रिकार्ड जो चाहा गया है उक्त रेकर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही है।

इस प्रकरण में यह भी तथ्य न्यायालय के सामने प्रकट हुआ कि निगरानीधीन पट्टे से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पट्टे से संबंधित संधारित मूल पत्रावली, पट्टाबही आदि ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नही होना आश्चर्य की बात है जिसे किसी भी तरह से विधि सम्मत, नियमित सही एवं औचित्यपूर्ण नही ठहराया जा सकता यह कार्यवाही नियम 266 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक परीक्षण की कसौटी पर खरी नही उतरती।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना प्रासंगिक है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 124 में ऐसे पुराने अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे थे, उनका निपटारा नये अधिनियम के तहत किया जा सकता है।

आदेश

यह न्यायालय उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत इस पट्टे की वैधानिकता, औचित्य का परीक्षण करना उचित समझता है। यह न्यायालय इस पट्टे को विकृत, मनमाना, स्वेच्छाचारी एवं विधि विरूद्ध पाता है। निगरानीधीन पट्टा जो ग्राम पंचायत डांगियावास द्वारा अप्रार्थी के पिता श्यामलाल नाई पट्टा सं. शून्य, मिसल संख्या शून्य जो दिनांक 11.04.1980 को जारी किया गया है उसे निष्प्रभावी एवं खारिज किया जाता है तथा साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति, जोधपुर (मु0 मण्डोर) को निर्देश है कि अप्रार्थी श्यामलाल नाई को जारी पट्टा विलेख जो दिनांक 11.04.1980 में जारी किया गया से संबंधित सरकारी मूल रेकर्ड की तलाश करे। यदि मूल रेकर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांकः 09.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:13:53 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.10.17 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: